रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 1967/आश्विन 24, 1889
No. 492] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 1967/ASVINA 24, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th October 1967

S.O. 3760.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment to the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for purposes of Export) Order, 1966, published with the Notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce Notification No. S.O. 1027, dated 26th March, 1966, namely:—

In the said Order,—

(i) in sub-clause (a) of clause 2, the words ", and includes any other officer authorised by the Central Government under clause 5A in relation to the powers so exercisable by him"; shall be added at the end.

(ii) after clause 5, the following clause shall be inserted, namely:—

"5A. *Authorisation of other officers.*—The Central Government may authorise any of its officers, not below the rank of an Under Secretary to the Government of India, to exercise all or any of the powers of the Director under this Order."

[No. 1(1)/67-TAEP-I.]

S.O. 3761.—In exercise of the powers conferred by clause 5A of the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for the purpose of the Export) Order, 1966, the Central Government hereby authorises Shri N. S. Vaidyanathan, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce, to exercise all the powers of the Director under the said Order.

[No. 1(1)/67-TAEP-II.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 7 अक्टूबर, 1967

एस० ओ० 3762 अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या सां० आ० 1027 दिनांक 26 मार्च, 1966 में प्रकाशित अत्यावश्यक वस्तु (निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में:—

(1) खण्ड (2) के उपखण्ड (ए) के अन्त में ये शब्द जोड़े जायेंगे : "और उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में खण्ड 5 ए के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल है"

(2) खण्ड 5 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा; अर्थात् :—

"5 ए अन्य अधिकारियों को प्राधिकृत करना.— केन्द्रीय सरकार अपने अधिकारियों में से किसी को भी, जिसका पद भारत सरकार के अवर सचिव से कम न हो, इस आदेश के अधीन निदेशक की सभी शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी।"

[सं० 1(1)/67—टी ए ई पी।]

एस० ओ० 3763 अत्यावश्यक वस्तु (निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 के खण्ड 5 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त आदेश के अधीन निदेशक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु श्री एन० एस० वैद्यनाथन, उपसचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय को प्राधिकृत करती है।

[सं० 1(1)/67-टी ए ई पी-2।]

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967